

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:-37()/परावि/प्रशा.2/मंत्रा/स्था-द्वितीय/2018/2779 जयपुर दिनांक 20.8.2019

-:आदेश:-

निम्नलिखित सहायक कर्मचारियों के स्थानांतरण /पदस्थापन तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्रसं.	सर्व श्री / श्रीमती / सुश्री	कहां से	कहां को
1.	रूपराम	प.स. श्रीमाधोपुर (सीकर)	प.स. फतेहपुर / लक्ष्मणगढ (सीकर)
2.	टीपरचंद भोई	प.स. मावली	प.स. शाहबाद (बारां)
3.	आशाराम सोलंकी	प.स. कोटडा (उदयपुर)	प.स. अटरू (बारां)
4.	कलावती मीणा	प.स. खानपुर (झालावाड)	प.स. बारां (बारां)
5.	जगमोहन शर्मा	प.स. सलूम्बर (उदयपुर)	बारां जिले की किसी भी पंचायत समिति में
6.	टेमा देवी	प.स. भीम (राजसमंद)	प.स. जैतारण (पाली)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

नोट:-

1. उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानांतरण/पदस्थापन सही नाम से है।
2. यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/ अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है। तो ऐसे कार्मिक का स्थानांतरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
3. यदि किसी कार्मिक की परीविक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
4. यदि किसी कार्मिक का स्थानांतरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे।

20/8/2019
(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव
एवं संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित जिला परिषद।
4. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. आदेश पत्रावली।

20/8/2019
संयुक्त शासन सचिव
एवं संयुक्त आयुक्त